पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नवंबर 2021 के महीने की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं: -

1. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में पेंशनभोगियों को सहूलियत देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और विशेष रूप से महामारी के दौरान बैंक शाखाओं में पेंशनभोगियों की व्यक्तिगत उपस्थिति को कम करने के प्रयास कर रहा है। पिछले एक वर्ष की अवधि में यह विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एनआईसी और यूआईडीएआई) के साथ समन्वय कर रहा है और फेस टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र पर पायलट आयोजित कर रहा है। दिनांक 29.11.2021 को, विभाग ने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणन के क्षेत्र में एक तकनीकी छलांग लगाई और माननीय राज्यमंत्री (पीपी) द्वारा **फेस टेक्नोलॉजी ऐप** लॉन्च किया गया। यह ऐप वीडियो के माध्यम से, किसी पेंशनभोगी को सत्यापित करने के लिए यूआईडीएआई के **आधार** डेटा-बेस का उपयोग करता है और तत्काल डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार करता है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी पेंशनभोगी किसी बायोमेट्रिक डिवाइस के बिना ही, किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग करके घर से आसानी से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त तकनीक जीवन प्रमाणपत्र के उद्देश्य के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में एक मील का पत्थर है।

2. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने दिनांक 23.11.2021 के का.ज्ञा. सं.42/7/2021-पी&पीडब्ल्यू(डी) द्वारा 5वीं सीपीसी श्रृंखला में मूल अनुग्रह भुगतान पाने वाले सीपीएफ लाभार्थियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत, विभिन्न श्रेणियों के लिए दिनांक 01.07.2021 से 356% से 368% और 348% से 360% तक बढ़ाने के आदेश जारी किए।

3. सचिवों के क्षेत्रीय समूह की सिफ़ारिशों पर, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का व्यापक पुनर्विलोकन किया गया और संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों का मसौदा तैयार किया गया और सभी संबंधितों अर्थात व्यय विभाग (डीओई), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), लेखा महानियंत्रक (सीजीए) और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की टिप्पणियों/विचारों को मंगवाने के लिए 24.07.2020 को परिचालित किया गया। अंतर-मंत्रालयी परामर्शों को अंतिम रूप देने के पश्चात, दिनांक 03.11.2021 को विधायी विभाग से पुनरीक्षित संशोधित सीएसएस (पेंशन) नियम, 1972 मसौदा प्राप्त हुआ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति और विधायी विभाग के राजभाषा स्कंध से पुनरीक्षित हिंदी संस्करण अब प्राप्त हो गया है और फाइल को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने से पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के परिवार को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 का लाभ देने के प्रस्ताव को डीएफएस, सीजीए और डीओपीटी से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद 04.08.2021 को व्यय विभाग की सहमति के लिए अग्रेषित किया गया था। व्यय विभाग के दिनांक 06.10.2021 के नोट के माध्यम से, प्रस्ताव पर कुछ स्पष्टीकरण की मांग करते हुए, विभाग को प्रस्ताव वापस प्राप्त हुआ है। दिनांक 5 नवम्बर 2021 को व्यय विभाग को पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

5. सीपेनग्राम्स में पंजीकृत शिकायतों के समय पर और गुणात्मक निपटान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नागर विमानन मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, कोयला विभाग, राजस्व विभाग तथा सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ दिनांक 30.11.2021 को *अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक* आयोजित की।

6. (क) **भविष्य** पर मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पांच (5) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप और आसूचना ब्यूरो में **भविष्य** के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ग) शिकायत समाधान, **भविष्य**, **अनुभव** और **संकल्प** पर स्थिति अनुबंध में यथा उपदर्शित है। विस्तृत जानकारी निर्धारित प्ररूप में ई-मेल द्वारा भी भेजी जा रही है।